

DIRECTOR

(कालेज कोड- 937)

BSSS INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES KH-NO  
309/290/1/2,325/290,326/290, ASHA NIKETAN CAMPUS  
ARERA COLONY, SHSHPURA BHOPAL 462016

विषय:- अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2025-26

सन्दर्भ:- AICTE EOA No Central/1-44638642748/2025/EOA Date of Approval: 20-Mar-2025  
महोदय,

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 05/05/2025 में लिये गये निर्णय एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 19.01.2026 में अनुमोदन पश्चात् आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता की निरंतरता निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है :-

S. NO.	COURSE	STATUS	SEATS
01	MBA FT I,	TEMPORARY	180
02	MBA FT FINANCE MANAGEMENT I,	TEMPORARY	60
03	MBA FT MARKETING MANAGEMENT I,	TEMPORARY	60

शर्त:-

- (1) विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत शिक्षकों का चयन निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करें, अन्यथा आपके महाविद्यालय की सम्बद्धता स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
- (2) बिना संबद्धता/निरन्तरता के किसी छात्र/छात्रा का प्रवेश मान्य नहीं होगा। उसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी। प्रदत्त अस्थाई संबद्धता / निरन्तरता करने हेतु आगामी सत्र 2026-27 के लिए विश्वविद्यालय में निर्धारित संबद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
- (3) विश्वविद्यालय परिनियम 27,28 तथा परीक्षा अध्यादेश 5,6,7 में दर्शित प्रावधानों का पालन करना महाविद्यालय प्रबंध के लिए आवश्यक होगा। किसी भी प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर यह संबद्धता/निरन्तरता स्वतः ही निरस्त हो जावेगी।
- (4) अशासकीय महाविद्यालयों को आगामी संबद्धता हेतु आवेदन के साथ रु. 100-00 के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में जानकारी जिरामें केन्द्रीय नियामक संस्था एआईसीटीई नई दिल्ली की मान्यता, (ई ओ ए) सत्र 2026-27 एवं विश्वविद्यालय से जारी विगत वर्षों के संबद्धता/निरन्तरता पत्र, महाविद्यालय की संचालन समिति के पंजीयन दस्तावेज, पार्ट-ए में दर्शित दस्तावेज, जिसमें समिति द्वारा क्रय की गई भूमि की रजिस्ट्री, नगर निगम/नगर पालिका/पंचायत द्वारा अनुमोदित महाविद्यालय का नक्शा, खसरा नम्बर, महाविद्यालय का निर्माणाधीन एरिया, विलिडिंग पूर्ण होने का प्रमाण पत्र, खेल मैदान की जानकारी, खेल मैदान की महाविद्यालय से दूरी एवं उसका सत्यापन, महाविद्यालय में उपलब्ध ब्लासरूम की संख्या, उसमें कितने छात्रों को अध्ययन कराया जाता है, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, उपलब्ध फर्नीचर, उपकरण, कम्प्यूटर पुस्तकों की संख्या, महाविद्यालय का फोटोग्राफ जियोटैगिंग सहित, क्लासरूम, प्रयोगशाला पुस्तकालय का फोटोग्राफ, यदि महाविद्यालय का स्थान परिवर्तन हुआ है संबंधी जानकारी, महाविद्यालय की समिति का पुर्नगठन, शासिकाय के कार्यवृत्त संबंधी जानकारी विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- (5) शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति वि.वि. परिनियम (College Code) 28 के तहत छात्रों के अनुपात में पूर्ण कर नियुक्त शिक्षकों की सूची नियुक्तिपत्र, मय ज्वॉइनिंग रिपोर्ट मय शिक्षकों का आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर, शिक्षकों के बैंक खातों की जानकारी एवं 100- के शपथ पत्र पर कोड-28 के तहत शिक्षकों का एग्रीमेंट निर्धारित प्रोफार्म में विश्वविद्यालय में हार्डकापी में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। महाविद्यालय को स्वीकृत सीट संख्या महाविद्यालय में प्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों की संख्या एवं सूची तथा रिक्त सीटों की संख्या की जानकारी विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (6) महाविद्यालय को विश्वविद्यालय परिनियम 28 कण्डिका 8(J)के अंतर्गत समस्त जानकारियाँ महाविद्यालय की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
- (7) महाविद्यालय की बेलेन्सशीट, आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)
- (8) शासिकाय का गठन कर नियमित बैठक का आयोजन एवं विवरण तीन माह में वि.वि. को भेजना होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)
- (9) संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु FDR वि.वि.में जमा करना अनिवार्य होगा।
- (10) उक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर परिनियम-27 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
- (11) शासकीय महाविद्यालय के लिए :-जन भागीदारी समिति के कार्यवृत्त विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 02.03.26

पृ० कमांक 228 (A) / अकादमी/संबद्धता/प्रबंध संकाय/2026  
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद रोज एवन्वू, नई दिल्ली
2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय (डीटीई) टैगौर हास्टल नंबर टी 2, श्यामला हिल्स, दूरदर्शन रोड, भोपाल-462002।
3. परीक्षा नियंत्रक बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. डीसीडीसी बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिवके निज सहायक के माध्यम से सूचनार्थ ।
6. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल ।
7. निज नस्ती।

सहा.कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल